न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 55 / 2024

1 रामकरण पुत्र शंकरराम जाति मेघवंशी निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र शंकरराम
2 विनोद पुत्र शंकरराम
3 मूलचन्द पुत्र शंकरराम
4 ओमप्रकाश पुत्र शंकरराम
5 शंकरराम पुत्र भूदाराम
6 शारदा पत्नी श्री बाबूलाल
7 सुमन पत्नी श्री विनोद
जाति मेघवंशी निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
9 सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।
10 कनिष्ठ अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वृत गोल्याणा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
12 उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 255 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 30.04.2024
बअदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी
रामकरण बनाम बाबूलाल वगैरह. मु.नं.
133/2022 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11
व 151 जा.दी.

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 119/2011 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व नल एण्ड वोइड घोषित करने दान–पत्र बाबत भूमि खसरा नम्बर 304, 302, 303, 795, 796, 797 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय पारित करने में आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया। आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत दावा क्षेत्राधिकार में ना होने, वादकारण ना होने, मूल्यांकन कम होने व दो प्रतियों में दावा पेश न होने के कारण ही दावा खारिज होने योग्य होता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के दावे में दस्तावेजात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद ना होना मानकर दावा खारिज किया है जबकि अपीलान्ट द्वारा दावे में पेश दस्तावेजात के बाबत साक्ष्य में ही गौर किया जावेगा। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में आदेश पारित करते वक्त वादी की जो प्लींडिग है उस पर भी गौर नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने आया जमीन निजी है या पैतृक है यह दावा में पूरी साक्ष्य लेने के बाद तय होगा इस पर भी विवेचन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस पर भी विवेचन नहीं किया कि कृषि भूमि के बाबत है व घोषणा व विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व वादी के हक में जमीन जैर बहस में किये दान पत्र नल एण्ड वोईड है। इस बाबत तय करने का क्षेत्राधिकार रेवेन्यु अदालत को ही है। विचारण न्यायालय दिनांक 11.10.2023 को बहस सुनी थी उसके बाद में दिनांक 21.12.2023 को मजीद बहस सुनी व उसके बाद में 30.04.2024 को निर्णय पारित किया करीब 5 महिने बाद निर्णय पारित किया जो कि कानूनन गलत है। इस तरह विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2016 एचसी पेज 566, आरबीजे 2009 रेव पेज 439, आरबीजे 1998 पेज 200, आरएलडब्ल्यू 1999 (1) एचसीपेज 593, आरबीजे 2003 रेव पेज 158, आरबीजे 2009 एचसीपेज 310, आरबीजे 2010 रेव पेज 721, आरबीजे 2016 रेव पेज 23 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत वाद में वादी का अनुतोष विवादित आराजी पैतृक मानकर 1/6 हिस्से की घोषणा व दोनों दानपत्रों को नल एण्ड वॉइड घोषित करवा कर उनके अधिकारों पर बेअसर घोषित करवाने का है जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 5 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा स्वअर्जित संपति है व उसके द्वारा करवाये गये दानपत्र भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिनको नल एण्ड वॉईड घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों (विक्रय पत्र व दानपत्र) की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः दावा क्षेत्राधिकार के बाहर होने कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2024(1) राज. पेज 637, आरबीजे 2019 एचसी पेज 233, आरआरटी 2008 (1) एससी पेज 648, आरबीजे 2020 एससी पेज 377, एआईआर 2024 एपी पेज 59, एआईआर 1977 एससी पेज 2421, एआईआर 2010 पटना पेज 189, आरआरटी 2019(2) एचसी पेज 1219, आरआरटी 2022–23 सप्ली. पेज 603 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

वादी का अनुतोष विवादित आराजी पैतृक मानकर 1/6 हिस्से की घोषणा व दोनों दानपत्रों को नल एण्ड वॉइड घोषित करवा कर उनके अधिकारों पर बेअसर घोषित करवाने का है जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 5 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा स्वअर्जित संपति है व उसके द्वारा करवाये गये दानपत्र भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिनको नल एण्ड वॉईड घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों (विक्रय पत्र व दानपत्र) की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः दावा क्षेत्राधिकार के बाहर होने कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलवे)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर